[illegible] इण्डाली | बनाम : राज. सरकार आदि
[illegible] 80 RTA वाद | तहसीलदार नोवा
मु. नम्बर 51 सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
वादी की ओर से वकील श्री हनुमानाराम ने यह वाद पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.2.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
[illegible] दुलाय उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] राजकीय कार्य से बाहर [illegible] दिनांक 21/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-2-18 वकील वादी उप०। प्रतिवादी का सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं साक्ष्य बन्द की जाती है। बहस हेतु दिनांक 22.2.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22-2-18 वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम इण्डाली के ख०न० 309 रकबा 5.18 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादी के स्व० पिता भंवरलाल को भंवरलाल व भूराराम दोनों नामों से जाना जाता था। जिसके कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भूराराम नाम दर्ज हो गया। जबकि शैक्षणिक एवं अन्य सभी दस्तावेजों में भंवरलाल नाम दर्ज है। जिससे वादी ऋण व आदि लेने में भारी परेशानी हो रही है। जिससे उक्त विवादित भूमि में मूलचन्द पुत्र भूराराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भंवरलाल घोषित किया जावे। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के अनुसार खसरा नम्बर 309 रकबा 5.18 हैक्टयर में मूलचन्द पुत्र भूराराम जांगिड़ ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादी द्वारा पैन कार्ड, व शैक्षणिक दस्तावेज पेश किए हैं जिसमें मूलचन्द पिता भेवरलाल दर्ज रिकार्ड है सरपंच ग्राम पंचायत डण्डाली का प्रमाण-पत्र पेश किया है जिसमें बताया है कि मूलचन्द के पिता को भेवरलाल व भूराराम दोनों नामों से ग्राम में जाना जाता था दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, इस सम्बन्ध में वादी ने शपथ-पत्र पेश किया है जिसमें भी अपने पिता को दोनों नामों से पहचानने तथा दोनों नामों का ग्राम में एक ही व्यक्ति होना बताया है राजस्व रिकार्ड व वादी के अन्य पहचान दस्तावेजों में वल्दियत भिन्न होने से वादी को ऋण प्राप्त करने व कृषि अनुदान आदि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों साबित होता है। जिससे वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम डण्डाली के खसरा नम्बर 309 रकबा 5.18 हैक्टयर भूमि में दर्ज मूलचन्द पुत्र भूराराम आंगिक ब्राह्मण के स्थान पर मूलचन्द पुत्र भेवरलाल आंगिक ब्राह्मण दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी नावां